

भर्ती समिति, जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग, (छ0ग0)

// आवश्यक सूचना //

(दावा आपत्ति के निराकरण)

भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्राविण्य सूची के अनुसार अर्ह एवं अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 08/01/2024 को जारी कर दिनांक 11/01/2024 के दोपहर 2:00 बजे तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया गया था। इस समयावधि में कुल 33 अभ्यर्थियों द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है जिसका निराकरण समिति के द्वारा किया गया जो निम्नानुसार है:-

स.क्र.	दावा आपत्तिकर्ता का नाम	पंजीयन क्रमांक	आपत्ति	समिति का निर्णय	रिमार्क
01-	प्रवीण कुमार त्रिपाठी	11467	आवेदक प्रवीण कुमार त्रिपाठी भूतपूर्व सैनिक है जो कि भृत्य पद हेतु आवेदन किया है, किंतु उसका नाम साक्षात्कार सूची में नहीं है। अतः साक्षात्कार सूची में नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक भू.पू.सै. पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा कक्षा 5 वीं 90 प्रतिशत है। अतः आवेदक की आपत्ति स्वीकार कर उसका नाम अनारक्षित भू.पू.सै.के अर्ह सूची में नाम जोड़ा जावें।	
02-	तोरन लाल	2337	आवेदक तोरन लाल भूतपूर्व सैनिक है, वह भृत्य पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था किंतु उसका नाम पात्र, अपात्र सूची में नाम दर्ज नहीं है। अतः भूतपूर्व सैनिक के पात्र सूची में नाम दर्ज हेतु निवेदन किया है।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदन भू.पू.सै. पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तथा कक्षा 5 वीं 56 प्रतिशत है। अतः आवेदक की आपत्ति स्वीकार कर उसका नाम अनारक्षित भू.पू.सै.के अर्ह सूची में नाम जोड़ा जावें।	

03-	बलराम कुमार साहू	1830	आवेदक का नाम प्रतिशत कम होने से अपात्र सूची में नाम दर्ज है। अतः निवेदन किया है कि अनुभव के आधार पर पात्र किया जाये।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वीं में 34 प्रतिशत है एवं अनारक्षित मुक्त का कटऑफ 91 प्रतिशत है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ 86.40 प्रतिशत है जिसके कारण आवेदक का प्रतिशत कम होने से 20 गुना से अधिक की अनर्ह सूची में नाम दर्ज है। अतः आवेदक की आपत्ति निरस्त किया जाता है।	
04-	महेन्द्र कुमार	2209	आवेदक अनुसूचित जनजाति हेतु आवेदन किया है तथा उसका पाँचवीं में प्रतिशत 86 है जो कि अनुसूचित जनजाति हेतु जारी पात्र सूची में 86 प्रतिशत को लिया गया है। अतः समान अंक होने के कारण उसे पात्र किये जाने का निवेदन किया है।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक अनुसूचित जनजाति हेतु आवेदन किया है तथा कक्षा 5 वीं 86 प्रतिशत है तथा आवेदक की जन्मतिथि 31 जनवरी 1996 है। अतः जारी अनुसूचित जनजाति मुक्त हेतु जन्मतिथि के आधार पर अर्ह सूची बनाया गया है जिसमें कटऑफ 86 प्रतिशत रहा है तथा अंतिम अभ्यर्थी 86 प्रतिशत है जिसकी जन्मतिथि 04/11/1995 है। अतः जन्मतिथि के वरिष्ठता के आधार पर आवेदक की आपत्ति निरस्त की जाती है।	

05-	सुरेश कुमार	1100	<p>आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग दिव्यांग है जो कि कक्षा 5 वीं में उसका प्रतिशत 73.16 है तथा आवेदक को उसकी शैक्षणिक योग्यता अधिक होने के कारण अपात्र किया गया है। अतः इस पद हेतु उसे पात्र किये जाने का निवेदन किया है।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग वर्ग का है किंतु शैक्षणिक योग्यता 12 वीं से अधिक है।</p> <p>अतः आवेदक की शैक्षणिक योग्यता 12 वीं से अधिक है जिसके कारण विज्ञापन के नियम एवं शर्त के अनुसार आवेदक की आपत्ति निरस्त की जाती है।</p>	
06-	अमित कुमार	3319	<p>आवेदक भृत्य पद के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन किया था जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रावीण्य सूची के आधार पर 86.40 प्रतिशत तथा ए ग्रेड को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। उसका कक्षा 5 वीं में 81.33 प्रतिशत है जो कि ग्रेड ए में आता है।</p> <p>अतः निवेदन किया है कि उसे साक्षात्कार हेतु मौका दिया जाए।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का प्रतिशत 81.33 है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ 86.40 प्रतिशत है तथा ग्रेड में A ग्रेड है।</p> <p>अतः भर्ती समिति के निर्णय अनुसार वर्गवार अभ्यर्थियों के 20 गुना की संख्या हेतु प्रथमतः A+ ग्रेड तथा (91-100) प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों को लिया जाएगा। यदि 20 गुना की संख्या पूर्ण हो जाती है तो आगे के परीक्षार्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि A+ ग्रेड तथा (91-100) प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों से वह संख्या पूर्ण नहीं होती है तो शेष परीक्षार्थियों की संख्या हेतु ग्रेड एवं प्रतिशत वाले</p>	

				परीक्षार्थियों की जन्मतिथि के आधार पर तथा वरिष्ठता क्रम से उतनी-उतनी संख्या में लिया जाएगा। जिसके आधार पर आवेदक की आपत्ति निरस्त किया जाता है।	
07-	टेकराम	8054	आवेदक टेकराम का नाम सूची नंबर 09 में है उसका कक्षा 5 वीं में प्रतिशत 37.5 है अतः निवेदन किया है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र किया जाए।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग है तथा कक्षा 5 वीं में 37.5 प्रतिशत है जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग का कटऑफ 86.40 प्रतिशत है। अतः आवेदक का प्रतिशत कटऑफ से कम होने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता है।	
08-	पवन कुमार	1179	आवेदक पवन कुमार का नाम अपात्र सूची में दर्ज है जो कि वह भूतपूर्व सैनिक है तथा उसका कक्षा 5 वीं में 78 प्रतिशत है। अतः निवेदन किया है कि उसे पात्र किया जाए।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक भू.पू.सै. पद हेतु आवेदक प्रस्तुत किया है तथा कक्षा 5 वीं 78 प्रतिशत है, किंतु आवेदक बारहवीं से अधिक योग्यता होने के आधार पर अपात्र सूची में रखा गया है। अतः आवेदक की आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।	
09-	गोपाल ध्रुव	3413	आवेदक भृत्य के सामान्य वर्ग में आवेदन दिया था जो कि कौशल सूची में उसे अन्य पिछड़ा वर्ग मानकर अनर्ह कर दिया है। अतः	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग	

			निवेदन किया है कि उसका संवर्ग सुधार कर अर्ह सूची में दर्ज किया जाये ।	हेतु आवेदन किया है तथा उक्त वर्ग का कटऑफ 86 प्रतिशत है जो कि आवेदक का प्रतिशत कटऑफ से कम है । अतः आवेदक की आपत्ति निरस्त किया जाता है ।	
10-	ज्ञानेश्वर	1221	आवेदक भृत्य पद हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आवेदन किया था किंतु उसे अनुसूचित जाति में अंकित किया है तथा वह पीएलवी का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है । अतः निवेदन किया है कि उसका अनुभव प्रमाण पत्र का अंक जोड़ा जाये ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक के अनुसूचित जनजाति वर्ग का है । अतः आवेदक की जाति संवर्ग को सुधार किया गया, किंतु अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ अधिक होने से आवेदक का नाम पात्र सूची में नहीं है । अतः आपत्ति आंशिक रूप से जाति वर्ग में सुधार के संबंध में स्वीकार किया गया ।	
11-	भागवत प्रसाद यादव	3074	आवेदक भागवत प्रसाद यादव भृत्य पद हेतु आवेदन किया है जिसमें उसका नाम गलत एवं प्रतिशत दर्ज नहीं है । अतः निवेदन किया है कि उसका नाम सुधार कर भागवत प्रसाद यादव तथा 5 वीं का प्रतिशत 35.5 लिखा जाये ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि कक्षा 5 वीं के प्रतिशत 35.5 है तथा सूची नंबर 9 में उसका नाम भागवत प्रसाद साहू तथा उसके प्रतिशत वाले कॉलम में (-) डेस है । अतः आवेदक द्वारा की गयी आपत्ति पश्चात आवेदक का नाम भागवत प्रसाद यादव तथा उसके कक्षा 5 वीं में प्रतिशत 35.5 सूची	

				नंबर 9 में त्रुटि सुधारकर दर्ज किया जावे ।	
12-	अमृतलाल	2849	आवेदक भृत्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है किंतु भूलवश अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं कर पाया है । अतः निवेदन किया है कि अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार कर आवेदन के साथ संलग्न किया जाये।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र तथा सूची नंबर 1 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक पात्र सूची क्रमांक 01 में नाम दर्ज है । अतः उसके मूल आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे ।	
13-	हरीचन्द्र	4248	आवेदक भृत्य पद के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन किया है तथा उसका कक्षा 5 वीं में ग्रेड ए है । संस्था से ग्रेड ए को प्रतिशत में प्रमाणित करवाने के बाद 89 प्रतिशत हो गया है । अतः निवेदन किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 86.40 प्रतिशत को कौशल परीक्षा हेतु चयन किया गया है तथा उसका 89 प्रतिशत के आधार पर साक्षात्कार हेतु प्राविण्य सूची में शामिल किया जाये ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि कक्षा 5 वीं में 89.71 प्रतिशत है तथा ओ.बी.सी. का कटऑफ 86.40 प्रतिशत है । ओ.बी.सी. का कटऑफ 86.40 से, आवेदक का प्रतिशत 89.71 प्रतिशत है, जो कि अधिक है । आवेदक द्वारा की गयी आपत्ति स्वीकार योग्य है । अतः आवेदक द्वारा की गयी दावा आपत्ति आवेदन स्वीकार कर आवेदक का नाम ओ.बी.सी. मुक्त अर्ह सूची में नाम जोड़ा जावे ।	
14-	लक्ष्मी यादव	3617	आवेदिका भृत्य हेतु अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आवेदन की है किंतु उसका नाम अपात्र सूची में दर्ज है । उसका 5 वीं में 88 प्रतिशत है और अनारक्षित महिला पात्र लिस्ट में 89.3	आवेदिका के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदिका का कक्षा 5 वीं में 88 प्रतिशत है जबकि अनारक्षित महिला का कटऑफ 89.3 प्रतिशत	

			<p>प्रतिशत तथा ग्रेड ए को लिया गया है ।</p> <p>अतः प्रतिशत ग्रेड में 81 से 90 प्रतिशत तक ग्रेड ए में आता है एवं 91 से 100 तक ग्रेड ए+ में आता है चूंकि उसका प्रतिशत 88 प्रतिशत है जो समकक्ष है जिसके आधार पर उसे पात्र सूची में शामिल कर अवसर प्रदान किया जाये ।</p>	<p>है । भर्ती समिति के निर्णय अनुसार वर्गवार अभ्यर्थियों के 20 गुना की संख्या हेतु प्रथमतः A+ ग्रेड तथा (91-100) प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों को लिया जाएगा । यदि 20 गुना की संख्या पूर्ण हो जाती है तो आगे के परीक्षार्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि A+ ग्रेड तथा (91-100) प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों से वह संख्या पूर्ण नहीं होती है तो शेष परीक्षार्थियों की संख्या हेतु ग्रेड एवं प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों की जन्मतिथि के आधार पर तथा वरिष्ठता क्रम से उतनी-उतनी संख्या में लिया जाएगा ।</p> <p>अतः भर्ती समिति के द्वारा बनाये गये नियम एवं शर्त के अनुसार आवेदिका का प्रतिशत अनारक्षित महिला कटऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता है ।</p>	
15-	नंद कुमार	1766	<p>आवेदक भृत्य हेतु अनुसूचित जनजाति के लिए आवेदन की है किंतु उसका नाम अपात्र सूची में दर्ज है । उसका 5 वीं में 82 प्रतिशत है और अनुसूचित जनजाति लिस्ट में 86 प्रतिशत तथा ग्रेड ए को लिया गया है ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वीं में 82 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति का कटऑफ 86 प्रतिशत है । भर्ती समिति के</p>	

			<p>अतः प्रतिशत ग्रेड में 81 से 90 प्रतिशत तक ग्रेड ए में आता है एवं 91 से 100 तक ग्रेड ए+ में आता है चूंकि उसका प्रतिशत 82 प्रतिशत है जो समकक्ष है जिसके आधार पर उसे पात्र सूची में शामिल कर अवसर प्रदान किया जाये ।</p>	<p>निर्णय अनुसार वर्गवार अभ्यर्थियों के 20 गुना की संख्या हेतु प्रथमतः A+ ग्रेड तथा (91-100) प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों को लिया जाएगा । यदि 20 गुना की संख्या पूर्ण हो जाती है तो आगे के परीक्षार्थियों पर विचार नहीं किया जाएगा । यदि A+ ग्रेड तथा (91-100) प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों से वह संख्या पूर्ण नहीं होती है तो शेष परीक्षार्थियों की संख्या हेतु ग्रेड एवं प्रतिशत वाले परीक्षार्थियों की जन्मतिथि के आधार पर तथा वरिष्ठता क्रम से उतनी-उतनी संख्या में लिया जाएगा ।</p> <p>अतः भर्ती समिति के द्वारा बनाये गये नियम एवं शर्त के अनुसार आवेदक का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति मुक्त के कटऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता है ।</p>	
16-	महेन्द्र सिन्हा	1530	<p>आवेदक महेन्द्र सिन्हा द्वारा भृत्य पद के अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन किया है जो कि उसका नाम अपात्र सूची में है । अतः निवेदन किया है कि उसे अनुभव के आधार पर पात्र किया जाये ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक ओ.बी.सी. वर्ग का है तथा उसका कक्षा 5 वीं में 70 प्रतिशत है जबकि ओ.बी.सी. का कटऑफ 86.40 प्रतिशत है ।</p> <p>अतः आवेदक का प्रतिशत ओ.बी.सी. मुक्त के</p>	

				कटऑफ 86.40 प्रतिशत से कम से होने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता है ।	
17-	देवेन्द्र		<p>आवेदक का नाम सूची क्रमांक 05 में दर्ज है । उसका कक्षा 5 वीं अंकसूची में पूर्णांक 150 तथा प्रासांक 137 है जिसके अनुसार 91.33 प्रतिशत होता है ।</p> <p>अतः कक्षा 5 वीं में ग्रेड ए दर्ज है उसे प्रतिशत में लिखा जाये ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र तथा सूची क्रमांक 05 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि पात्र अर्ह सूची क्रमांक 5 में दर्ज है । आवेदक का मूल 5 वीं अंकसूची के परिशीलन किया गया जिसमें ग्रेड ए दर्शित है ।</p> <p>अतः आपत्ति सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है ।</p>	
18-	ओमप्रकाश	10271	<p>आवेदक ओमप्रकाश का नाम पात्र सूची नंबर 07 में सरल क्रमांक 29 में अंकित है जिसमें प्रतिशत की जगह ग्रेड दर्शाया गया है । अतः निवेदन किया है कि ग्रेड की जगह प्रतिशत दर्शाया जाये ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र तथा सूची क्रमांक 07 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि पात्र अर्ह सूची क्रमांक 7 में दर्ज है । आवेदक का मूल 5 वीं अंकसूची के परिशीलन किया गया जिसमें ग्रेड ए दर्शित है ।</p> <p>अतः आपत्ति सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है ।</p>	
19-	रीतू पति ध्रुव देवांगन		<p>आवेदिका की शैक्षणिक योग्यता अधिक होने के कारण अपात्र कर दिया गया है, उसका कक्षा 5 वीं में 34 प्रतिशत है । अतः निवेदन किया है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्र किया जाये ।</p>	<p>आवेदिका के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदिका का कक्षा 5 वीं में 34 प्रतिशत है जबकि अनारक्षित महिला का कटऑफ 89.3 प्रतिशत है तथा ओ.बी.सी. महिला कट ऑफ 86.40 प्रतिशत है।</p>	

				<p>अतः आवेदिका का प्रतिशत उक्त कटऑफ से कम होने के कारण आपत्ति निरस्त किया जाता है ।</p>	
20-	रंधीर कुमार	6484	<p>आवेदक का नाम सूची क्रमांक 09 में दर्ज है जो कि 20 गुना से अधिक होने के कारण मेरिट सूची से बाहर कर दिया है ।</p> <p>अतः निवेदन किया है कि उसे अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देकर मेरिट सूची में नाम जोड़ा जाये ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वीं 69.5 प्रतिशत है । आवेदक द्वारा अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दिये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक का कटऑफ ओ.बी.सी. मुक्त कटऑफ 86.40 से कम है</p> <p>अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।</p>	
21-	प्रताप सिंह सेंगर	10890	<p>आवेदक का नाम अपात्र सूची में है तथा उसका कक्षा 5 वीं में 55 प्रतिशत है ।</p> <p>अतः निवेदन किया है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता आठवीं से अधिक नहीं होने के कारण उसे अपात्र से पात्र किया जाए ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वीं 55.5 प्रतिशत है । आवेदक का कटऑफ अनारक्षित मुक्त के कटऑफ 91 से कम है ।</p> <p>अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।</p>	
22-	लीलाधर देवांगन	11459	<p>आवेदक लीलाधर का कक्षा 5 वीं में 58 प्रतिशत है ।</p> <p>अतः निवेदन किया है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता आठवीं से अधिक नहीं होने के कारण उसे अपात्र से पात्र किया जाए ।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वीं 58 प्रतिशत है । आवेदक का कटऑफ ओ.बी.सी. मुक्त के कटऑफ 86.40 से कम है ।</p> <p>अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।</p>	

23-	मनीष कुमार बघेल	0257	<p>आवेदक मनीष कुमार बघेल का कक्षा 5 वीं में 82.25 प्रतिशत है जो कि उसे अनर्ह सूची क्रमांक 09 में रखा गया है जबकि उसका ग्रेड A+ है। अतः निवेदन किया है कि आरक्षित अनुजाति मुक्त हेतु उसे पात्र किया जावे।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि उसके कक्षा 5 वीं के अंकसूची में ग्रेड A+ अंकित है। अनुसूचित जाति का कट ऑफ 85.5 प्रतिशत तथा ग्रेड A है। आवेदक का ग्रेड A+ अनुसूचित जनजाति के कट ऑफ से अधिक है।</p> <p>अतः आवेदक का आपत्ति स्वीकार योग्य होने से अनुसूचित जाति मुक्त के अर्ह सूची में जोड़ा जावे।</p>	
24	दुलेश कुमार साहू	392	<p>आवेदक दुलेश कुमार साहू भृत्य पद हेतु आवेदन किया था तथा उसका नाम सूची क्रमांक 09 में दर्ज है किंतु वह 20 गुना में शामिल नहीं हो पाया है अतः निवेदन किया है कि उसे अनुभव के आधार पर साक्षात्कार सूची में शामिल किया जावे।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वी 73 प्रतिशत है। आवेदक ओ.बी.सी. वर्ग का है जबकि ओ.बी.सी. का कट ऑफ 86.40 प्रतिशत है। आवेदक का प्रतिशत ओ.बी.सी. मुक्त के कट ऑफ से कम है।</p> <p>अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।</p>	
25	खेमराज	10692	<p>आवेदक का नाम पात्र सूची में है जिसमें उसकी जाति त्रुटिवश अनुसूचित जाति दर्ज हो गया है जबकि उसकी जाति अनुसूचित जनजाति है। अतः पात्र सूची में त्रुटि सुधार कर अनुसूचित जनजाति दर्ज किया जावे।</p>	<p>आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तथा कक्षा 5 वीं में 88 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ 86 प्रतिशत है।</p>	

				अतः आवेदक का संवर्ग की त्रुटि को सुधार किया गया।	
26	उत्तम प्रकाश		आवेदक उत्तम प्रकाश भृत्य पद हेतु आवेदन किया था किंतु उसका नाम अपात्र सूची में दर्ज है। भूतपूर्वक सैनिक से रिटायर्ड के पश्चात स्नातक का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अतः निवेदन किया है कि भूतपूर्व सैनिक के आधार पर उसे साक्षात्कार के लिए पात्र किया जावे।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक भू.पू.सै. है तथा कक्षा 5 वीं में 67.25 प्रतिशत है किंतु आवेदक बारहवीं से अधिक योग्यता होने के आधार पर अपात्र सूची में रखा गया है। अतः आवेदक की आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।	
27	चन्द्रमान	3628	आवेदक भृत्य पद हेतु आवेदन किया था तथा उसका कक्षा 5 वीं में A ग्रेड है किंतु उसे अपात्र कर दिया गया है। अतः निवेदन किया है कि अनुभव के आधार पर उसे पात्र किया जावे।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र को अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक का कक्षा 5 वीं में 81 प्रतिशत है तथा ओ.बी.सी. वर्ग का है जो कि ओ.बी.सी. के कट ऑफ 86.40 प्रतिशत से कम है। अतः आवेदक का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।	
28	रामप्रताप	6756	आवेदक रामप्रताप का नाम पात्र सूची में नाम दर्ज है किंतु उसका नाम त्रुटिवश राम प्रसाद पिता राम कृपाल दर्ज हो गया है। अतः निवेदन किया है कि पात्र सूची में सुधार कर उसका नाम रामप्रताप पिता रामकृपाल किया जावे।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र तथा सूची क्रमांक 01 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक पात्र सूची में है तथा त्रुटिवश उसका नाम रामप्रसाद पिता रामकृपाल हो गया है। अतः सूची क्रमांक 01 में आवेदक का नाम सुधारकर	

				रामप्रताप पिता रामकृपाल लिखा जावें ।	
29	अनुपमा देशमुख	3149	आवेदिका के द्वारा भृत्य पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था किंतु उसका नाम अपात्र सूची में दर्ज है । अतः निवेदन किया है कि उसे अनुभव के आधार पर पात्र सूची में शामिल किया जावें ।	आवेदिका के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदिका का कक्षा 5 वीं में 70 प्रतिशत है तथा वह अनारक्षित महिला वर्ग की है । अतः आपत्ति सारहीन होने के कारण आवेदन निरस्त किया जाता है ।	
30	रोशनी चन्द्राकर	449	आवेदिका के द्वारा भृत्य पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था किंतु उसका नाम अपात्र सूची में दर्ज है । अतः निवेदन किया है कि उसे अनुभव के आधार पर पात्र सूची में शामिल किया जावें ।	आवेदिका के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदिका का कक्षा 5 वीं में 44 प्रतिशत है तथा वह अनारक्षित महिला वर्ग की है । अतः आपत्ति सारहीन होने के कारण आवेदन निरस्त किया जाता है ।	
31	भोजराज डोंगरे	11205	आवेदक भृत्य पद हेतु आवेदन किया था जिसमें उसकी जाति महार है जो कि अनुसूचित जाति में आता है किंतु त्रुटिवश सामान्य वर्ग में लिखा है एवं कक्षा 5 वीं में उसका प्रतिशत 89.33 प्रतिशत है जो कि सामान्य जाति में होने के कारण अपात्र सूची में दर्ज है । अतः निवेदन किया है कि उसे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर त्रुटि सुधार करते हुए अनुसूचित जाति के पात्र सूची में शामिल किया जावें ।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक अपनी मूल आवेदन में सामान्य वर्ग लिखा है तथा जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है । आवेदक द्वारा वर्तमान में प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन दिनांक के पश्चात बनाया गया है । अतः आपत्ति सारहीन होने से निरस्त किया जाता है ।	

32	राजेश कुमार चतुर्वेदी	10524	आवेदक भृत्य पद हेतु अनुसूचित जाति से आवेदन किया था। भृत्य पद हेतु जारी सूची में उसका सरल क्रमांक 4332 पर नाम दर्ज है जिसमें उसके 5 वीं के प्रतिशत को दर्शाया नहीं गया है अतः निवेदन किया है कि 5 वीं के प्रतिशत को दर्शाते हुए पात्र किया जावे।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि कक्षा 5 वीं 92 प्रतिशत है तथा आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का है। अनुसूचित जाति मुक्त का कट ऑफ 85.5 प्रतिशत है। अतः आवेदक का प्रतिशत अनुसूचित जाति के कट ऑफ से अधिक होने से आवेदक का आवेदन स्वीकार योग्य होने से अनुसूचित जाति मुक्त के अर्ह सूची में जोड़ा जावे।
33	दीपक कुमार	7848	आवेदक दीपक कुमार भृत्य पद हेतु आवेदन किया था। जो कि भृत्य पद हेतु जारी सूची में उसके पिता का नाम मनोहर राव की जगह मनोहर साव त्रुटिवश हो गया है। अतः निवेदन किया है कि जारी सूची में उसके पिता का नाम त्रुटि सुधार कर मनोहर साव की जगह मनोहर राव अंकित किया जावे।	आवेदक के मूल आवेदन पत्र तथा सूची क्रं. 9 का अवलोकन किया गया जिससे दर्शित है कि आवेदक के पिता का नाम त्रुटिवश मनोहर साव लिखा गया है अतः सूची नंबर 9 में त्रुटि सुधारकर आवेदक के पिता का नाम मनोहर साव लिखा जावे।

टीप:- जिन अभ्यर्थियों की दावा आपत्ति स्वीकार की गई है उनके प्रवेश पत्र जिला न्यायालय की शासकीय वेबसाइट में अपलोड की जा रही है।


अध्यक्ष

भर्ती समिति,
जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ0ग0)